न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2018-00031Ju2018-03 Mahiram etc Vs Hastudevi etc

---

01. महीराम पुत्र श्री बगडूराम
02. रामस्वरूप पुत्र श्री बगडूराम
03. श्रीमती पप्पू पत्नी श्री सुखराम
04. ईमरती पत्नी श्री रामेश्वर
05. मैना पत्नि श्री सहीराम,

जातियान् विश्नोई, निवासीगण- बांसवाड़ा नगर,(भींयासर) तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. श्रीमती हसतुदेवी पुत्री श्री राणुलाल पत्नि श्री ताराचंद जाति महाजन(जैन), निवासी- ग्राम भोजासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
02. पुखराज पुत्र श्री राणुलाल जाति महाजन, (जैन) निवासी- ग्राम भोजासर,तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
03. सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 19 दिसंबर 2017 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2017 हस्तुदेवी बनाम महीराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशन लाल विश्नोई, अधिवक्त-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2017 हस्तुदेवी बनाम महीराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 28 दिसंबर 2017 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 19 दिसंबर 2017 को वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 945/1 रकबा 64.19 बीघा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये। जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बासवाड़ा नगर (भीयासर) तहसील फलोदी के खसरा नं. 945/1 रकबा 64.19 बीघा के संबंध में अपीलांट्स रेकर्डेड खातेदार होते हुए भी एवं अपीलांट्स का कब्जा काश्त मालिक लगातार चला आ रहा है, जिसमें वादी रेस्पोडेंट संख्या एक श्रीमती हस्तुदेवी का कोई हक व अधिकार नहीं है, फिर भी प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर अपीलांट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों, जवाब दावें को बिना किसी आधार के दरकिनार करते हुए स्वीकार करने में एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी वाक्याती भूल की है। अपीलांट्स ने विवादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात् 32 बीघा 09 बिस्वा 10 बिस्वांशी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28.02.2017 के जरिये हीरालाल के वारिसान् इन्द्रा बाई, जैन, ललित जैन, रवि जैन, प्रतिभा जैन, सरिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जैन, विनज जैन से आम मुख्त्यार नामे से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। अपीलांट्स का नाम राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन नं. 181 ग्राम बांसवाड़ा नगर पटवार हल्का भींयासर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई। अपीलांट के हक-हिस्से की भूमि में मौके पर तारबंदी एवं जाली की हुई है तथा रहवास के लिए झुपा व छप्परा बना हुआ है एवं सह परिवार निवास कर रहे है, जिस पर आज दिन तक किसी ने भी कोई उज्र एतराज नहीं किया है तथा अपीलांट उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने भाई से मिलीभगती कर झूठे कथनों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है तथा पूर्व में अन्य खसरों सहित बेचान की गई भूमि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की तथा अन्य खरीददारान् को पक्षकार ही नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेरिट पर सुनवाई न कर सरसरी तौर पर वादीनी का 1/7 हिस्सा बिना किसी आधार पर मानकर संपूर्ण भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित कर दिये। रेस्पोडेंट संख्या एक वर्तमान में न तो विवादग्रस्त आराजी की रेकर्डेड खातेदार है तथा न ही उसका विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2017 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट्स सहखातेदार है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विवादग्रस्त भूमि में दर्ज हिस्सों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अपीलांट्स द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेंट्स को परेशान करने के उद्धेश्य से वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होने से खारिज फरमायी जावें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे तथा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में रेस्पोडेंट संख्या एक किसी प्रकार कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नही करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या एक का 1/7 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द होने से संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक ने विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 945/1 रकबा 64.19 बीघा पुश्तैनी भूमि होने तथा स्व. राणुलाल की पुत्री की हैसियत से विवादग्रस्त आराजी में अपना 1/7 हिस्से की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया। वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसकी अपील न्यायालय हाजा में की गई जो खारिज हो गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर दावे के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये जाने पाये जाते है। रेस्पोडेंट्स द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये विवादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से को खरीद किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा अब भी विचाराधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। इसलिए विवादग्रस्त आराजी को संरक्षित भी किया जाना कानूनन आवश्यक है। साथ ही रेस्पोडेंट्स विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है। कानूनन रेकर्डेड सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु उभय पक्ष के पक्ष में है। इन परस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2017 को खारिज किया जाकर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या दो को तादावा फैसला पाबंद किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक के वाद में संभावित 1/7 हिस्से तक का बेचान हस्तांतरण नहीं करे।

25/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर